

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया - गांधीनगर

एसटीपी/ईएचटीपी पंजीकरण/अनुमति पत्र (एलओपी) के नवीकरण की प्रक्रिया

- एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयां संचालन के पांच वर्ष बाद अपने अनुमति पत्र का नवीनीकरण करा सकती / हैं। एलओपी का नवीनीकरण एफटीपी की प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा)6.01बी) (ii) के अनुसार किया जाता है।
- एसटीपी/ईएचटीपी योजना के लिए पंजीकरण को नवीनीकृत करने की इच्छुक इकाइयों को/ <https://stpioonline.stpi.in/unit/jindex.php>>LoP/LuT>>LoP> का नवीनीकरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने और सभी सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्डकॉपी एसटीपीआई को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले सहायक दस्तावेज:

- I. सीए प्रमाणित अनुलग्नक 23ए (प्रदर्शन रिपोर्ट)
- II. नवीनीकरण के लिए बोर्ड का प्रस्ताव
- III. परियोजना रिपोर्ट जिसमें शामिल है--
 - ✓ सीए प्रमाणित अनुलग्नक 23ए (प्रदर्शन रिपोर्ट)
 - ✓ कंपनी की पृष्ठभूमि
 - ✓ प्रमोटर की पृष्ठभूमि
 - ✓ प्रोजेक्ट का स्पष्ट विवरण
 - ✓ विशेषज्ञता का क्षेत्र
 - ✓ मुख्य व्यावसायिक उद्देश्य
 - ✓ मार्केटिंग रणनीति
 - ✓ व्यावसायिक योजनाएँ
 - ✓ वित्त के स्रोत
 - ✓ जनशक्ति योजना
 - ✓ अगले 5 वर्षों के लिए वित्तीय जानकारी
 - ✓ भविष्य की योजनाएँ आदि
- IV. लीज़ एग्रीमेंट की प्रति / स्थान का बिक्री विलेख (यदि पहले के एग्रीमेंट के संबंध में कोई परिवर्तन हुआ हो)
- V. फॉर्म संख्या DIR 12 / फॉर्म संख्या 32
- VI. फॉर्म संख्या INC 22 / फॉर्म संख्या 18
- VII. IEC की प्रति
 - इकाई को लाइसेंस की समाप्ति की तिथि से कम से कम दो महीने पहले लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना होगा। एक बार, आवेदन (सभी मामलों में पूर्ण) प्राप्त होने पर, निर्यात दायित्व की गणना इकाई के पिछले पांच वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर उसकी एनएफई स्थिति की पुष्टि करने के लिए की जाएगी। परिचालन की अनुमानित अवधि के लिए निर्यात दायित्व की गणना भी की जाएगी।
 - कानूनी समझौते / एफटीपी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में, विदेशी व्यापार (डी एंड आर) अधिनियम के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया - गांधीनगर

स्वीकृति प्रक्रिया:

- आवेदन और सहायक दस्तावेजों की जांच के बाद, इकाई को निदेशक, एसटीपीआई बेंगलूर के समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया जाएगा। यदि इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण संतोषजनक पाए जाते हैं, तो एसटीपी/ईएचटीपी योजना के लिए जारी एलओपी को एलओपी की समाप्ति की तिथि से अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
- एलओपी का नवीनीकरण हो जाने के बाद, इकाई को आवश्यक औपचारिकताओं के लिए निर्यात संवर्धन सेल से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

Formats:-

1 अनुलग्नक -23ए (एसटीपी)

2 अनुलग्नक -23ए (ईएचटीपी)

3 प्रारूप आयात किए जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत सामानों की सूची-

4 प्रारूपस्वदेशी रूप से खरीदे जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत सामानों की-
सूची

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए:

हमें मेल करें :GNR.EXIM@stpi.in

संपर्क करें 66748531-079, 32